



पत्रांक : 4009 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / एस०ओ० /

दिनांक 30-05-2013

कार्यालय ज्ञाप

श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार केन्द्र, सहारनपुर को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरते जाने आदि जैसे गम्भीर कदाचरण का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर इस कार्यालय के ज्ञाप सं० 2335 / पविविनिनि / मेरठ / एस०ओ० दिनांक 30.03.2013 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

उक्त निलम्बन के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता (निलम्बित) द्वारा दिनांक 13.05.2013 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता (निलम्बित) को अनुशासनिक कार्यवाही/जांच के प्रतिबन्धाधीन कारपोरेशन की सेवा में पुनर्पदस्थापित किया जाये। अतः श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता (निलम्बित) को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पुनर्पदस्थापित किया जाता है। जांच पूर्ण होने पर जो भी निर्णय लिया जायेगा वह उन पर लागू होगा। श्री शैलेन्द्र गौतम के निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में निर्णय अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने एवं पारित अन्तिम आदेशों के उपरान्त लिया जायेगा।


श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता (निलम्बित) पुनर्पदस्थापन पर पूर्ववत् कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे। श्री शैलेन्द्र गौतम के नियमित तैनाती आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

विजय विश्वास पन्त  
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 4009 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / एस०ओ० / तददिनांक : 30-05-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (डी०पी०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. संयुक्त सचिव (अ०प्र०-०१), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (अधि०प्र०-०२अ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (अनु०का०) के निजी सचिव।
11. सम्बन्धित अधिकारी।
12. कट फाइल।

  
(सुनील कुमार गुप्ता)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर